

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

पीठारीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - हनुमानगढ़

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 258/25 दायर दिनांक 09/09/2025 निर्णय दिनांक 09/09/2025



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट				
1	<u>धनुसरी</u>	<u>602</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 /113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	राजस्थान ग्रामीण बैंक	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज.भू.सं.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>प.ह.</u> <u>खातासं.</u> <u>62</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर पत्रावली	हस्ताक्षर प्रिस्टावली	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	
			<u>09/09/2025</u>	<u>09/09/2025</u>	<u>09/09/2025</u>	<u>09/09/2025</u>	

प्रतिनिधि पालनाथ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल रामाशुक्ल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
कपासन जिला-चितौड़गढ